

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मौसम सूचकांक पर आधारित एक बीमा योजना है, जो बारिश, तापमान, आर्द्रता आदि के कारण फसल की क्षति को कवर करती है। यह मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किसानों को नुकसान से बचाता है।

जलवायु मानदंड निम्न / उच्च वर्षा, लगातार शुष्क दिन की समस्याओं (सूखा), अत्यधिक तापमान अस्थिरता कम / उच्च तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, हवा की गति और उपरोक्त सभी का संयोजन हो सकता है।

सरकार की अधिसूचना में प्रत्येक फसल के लिए उत्पादन के नियम और शर्तें पहले ही तय की गई हैं और उनका उल्लेख किया गया है।

दावों का आकलन

दावों का आकलन उन शर्तों और सीमाओं के आधार पर किया जाता है जो पहले से ही उल्लेखित पायीं गयीं हैं और दावों की गणना के लिए किसी अन्य प्रणाली और गणना का उपयोग नहीं किया जाता है।

मौसम के आँकड़ों के आधार पर ही दावों का आकलन किया जाएगा और मौसम आँकड़ों की रिपोर्ट मिलते ही दावे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

टर्म शीट की शर्तों, भुगतान संरचना और योजना प्रावधानों के अनुसार दावा प्रक्रिया सख्ती से लागू होगी।

मौसम संबंधी डेटा IMD (भारतीय मौसम विभाग), NCML (नेशनल असिस्टेंट मैनेजर लिमिटेड), SKYMET आदि जैसे स्वतंत्र स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

दावों के आकलन के लिए फसल सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह सरकार द्वारा अधिसूचित उत्पाद अवधि पत्रक में उल्लिखित न हो।

डेटा प्राप्त करने के बाद बीमा कंपनी के दावों को निर्धारित करें

बीमा कंपनियों को योजना की समाप्ति तिथि के तीन सप्ताह के भीतर अंतिम दावे दर्ज करने होंगे।